TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष : माननीय ~~आयुक्त~~ अपर आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प-इन्दौर

(184)

निग-1605-PBR-16

निगरानी प्रकरण कमांक ..../2016

प्रस्तुती दिनांक 29./04./2016

300/29.04.2016

प्रार्थी -- कालू पिता लक्ष्मण पटेल

निवासी-ग्राम बलगांव, तहसील कसरावद, जिला खरगौन

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री ... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 29/4/16 को प्रस्तुत।
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

वि रु द्ध

प्रतिप्रार्थीगण -- (१) किशोर पिता भिक्या पटेल

(२) गिरधारी पिता भिक्या पटेल

(३) मोहन पिता भिक्या पटेल

निवासीगण-ग्राम बलगांव, तहसील कसरावद, जिला खरगौन

निगरानी : अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

प्रार्थी यह निगरानी माननीय तहसीलदार महोदय, तहसील कसरावद, जिला खरगौन द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक ०३/अ-१३/१४-१५ (किशोर व अन्य विरूद्ध कालू) में पारित आदेश दिनांक ८ मार्च २०१६, जिसके द्वारा माननीय अधिनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा प्रतिप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र धारा ३२ मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता का स्वीकार किया गया, से असंतुष्ट व दुखित होकर प्रस्तुत करता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य, जिनसे यह निगरानी उदभूत होती है इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थीगण द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय, तहसील कसरावद, जिला खरगौन के समक्ष एक आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता १९५९ की धारा ३२ के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बलगांव, पटवारी हल्का नंबर ४, खसरा नंबर १७, २३७, २७९ में प्रतिप्रार्थीगण की भूमि स्थित होकर उसमें जाने आने का वंश परम्परा का रास्ता गांव से होकर गोये वाले रास्ते पर आगे चलकर घनश्याम पिता गोवर्धन, रेवाराम पिता केशव एवं कन्हैया नागेश्वर की भूमि की दक्षिणी मेढ से होकर आगे कन्हैया नागेश्वर की पश्चिमी मेढ से आगे बडवी, नत्थु, बाबू राजाराम पिता गप्पू एवं धनकोर पति कालू की उत्तरी, दक्षिण बीच स्थित मेढ पर जाने का होकर जिसे प्रार्थी द्वारा रोक दिया गया है, जिसे प्रकरण के निराकरण तक अन्तरिम रूप से उक्त रास्ता खुलवाऐ जाने की याचना की गयी।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1605-पीबीआर/2016 जिला खरगौन

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	